

मूल वाद में डिक्री

(आदेश-20 के नियम-6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा

बड़जलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

वाद संख्या- 215/ 2018

1. सॉवर पिता मगना जाट निवासी - गरोलिया खेडा तहसील हुरडा ।

-वादीगण

बनाम

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसील हुरडा।

-प्रतिवादीगण

प्रेषित:-

वादपत्र अन्तर्गत धारा-88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के लिए दावा वादी की ओर से सॉवर प्रतिवादी की ओर से तहसीलदार की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 23.05.2018 को अदालत के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि दावा वादी डिक्री किया जाकर मौजा गरोलिया खेडा पटवार हल्का रुपाहेली तहसील हुरडा कि आराजी न0 157, 158, 376, 377, 384, 385, 397, 398, 403, 404, 409, 410 किता 12 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा भूमि में सॉवर पिता मगना 3/4, सोहनी बेवा मगना 1/4 जाट दर्ज किया जावे तथा शेष बदस्तूर रखे जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावे।

और इसके वाद के खर्चे लेखे XXX रु. की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर XXX प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित XXX द्वारा XXX को दी जाये।



आज तारीख 23.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

वाद के खर्चे

उपर्युक्त अधिकारी
एच. घटेल सहायक कलेक्टर
गुलाबपुरा

वादी	रुपये	पैसे	वादी	रुपये	पैसे
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	00
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	00	00
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	00	00	3. प्लीडर की फीस	00	00
4. रुपये पर लीडर की फीस	00	00	4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	5. आदेशिका की तामील	00	00
6. कमिश्नर की फीस-तलबाना	00	00	6. कमिश्नर की फीस	00	00
7. आदेशिका की तामील	00	00			
8. स्टाम्प	00	00			
योग:-	00	00		00	00